रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 993] नई दिल्ली, बुधवार, मई 13, 2015/वैशाख 23, 1937
No. 993] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 13, 2015/VAISAKHA 23, 1937

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 13 मई, 2015

का.आ. 1271(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त षक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 3071 (अ), तारीख 8 अक्तूबर, 2013, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में तारीख 9 अक्तूबर, 2013 को प्रकाषित की गई थी, में एतद्द्वारा निम्नलिखित संषोधन करती हैं, अर्थातः–

उक्त अधिसूचना की में,–

(I) क्रम संख्या 2 के सामने, जिला ''दौसा'' के सामने,–

(क) प्रविष्टि ''रामगढ़ पचवारा'' कॉलम (5) में अंतःस्थापित की जाएगी ;

(ख) प्रविष्टि ''रामगढ़ पचवारा'' कॉलम (6) में अंतःस्थापित की जाएगी ;

(ग) प्रविष्टि ''(43) बाढ़ तुसादरी'' कॉलम (7) में अंतःस्थापित की जाएगी।

[फा. सं. भाराराप्रा/31022/15/पीआईयू/दौसा/एलए]

माया प्रकाष, निदेषक

पाद टिप्पणीः– मूल अधिसूचना का.आ. 3071 (अ), तारीख 8 अक्तूबर, 2013, द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii), में प्रकाषित की गई थी और बाद में का.आ. 1653 (अ), तारीख 1 जुलाई, 2014 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii), तारीख 1 जुलाई, 2014 में संषोधित की गई ।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

CORRIGENDUM

New Delhi, the 13th May, 2015

S.O. 1271(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number S.O. 3071(E), dated the 8th October, 2013, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 9th October, 2013, namely:-

In the Schedule to the said notification, –

(I) against Serial number 2, against District "Dausa",-

(a) the entry "Ramgarh Pachwara" shall be inserted, in column (5);

(b) the entry "Ramgarh Pachwara" shall be inserted, in column (6);

(c) the entry "(43) Barh Tusadari" shall be inserted, in column (7).

[F. No. NHAI/31022/15/PIU/DAU/LA]

MAYA PRAKASH, Director

Foot Note: The principal notification was published vide S.O. 3071(E), dated the 8th October, 2013, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub–section (ii) subsequently amended vide S.O. 1653 (E), dated the 1st July, 2014, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 1st July, 2014.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.